सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

**पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा**
**आई0ए0एस0**

प्रा0पत्र सं0 02/2016
राज्य सरकार जरिये कन्हैयालाल प्रवर्तन अधिकारी, लालसोट ..प्रार्थी

**बनाम**

कालूराम मीना उचित मूल्य दुकानदार उदयपुरा तहसील सिकराय ..अप्रार्थी

**प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6ए**
**आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

उपस्थितः 1. श्री योगेश मिश्राम, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 11.07.2018

सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी, सिकराय द्वारा दिनांक 21.01.2016 को 89 क्वि0 गेहूँ मय बारदाना को जब्त किये जाकर जब्त किये गये गेहूँ मय बारदाना को राजसात करने हेतु निवेदन किया ।

प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि राशन डीलर की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, दौसा के निर्देशानुसार दिनांक 21.01.2016 ग्राम पंचायत उदयपुरा तहसील सिकराय के डीलर कालूराम मीना की जॉच थानाधिकरी मेहन्दीपुर बालाजी के साथ निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण मौके पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। मात्र गेहूँ का स्टॉक रजिस्टर जो कि दिनांक 24.11.15 को प्रमाणित था तथा गेहूँ वितरण रजिस्टर जो कि 23.11.15 को प्रमाणित था प्रस्तुत किया गया। अन्य वस्तुओं के स्टॉक व वितरण रजिस्टर प्राधिकार पत्र, दुकान का स्वीकृत नक्शा, मासिक रिटर्न वगैरह दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये। दिये गये स्टॉक रजिस्टर में सही प्रकार से प्रविष्टियॉ नहीं कर रखी थी। आमद स्टॉक बिक्री इत्यादि सभी एक ही कॉलम में एण्ट्री कर रखी थी, जो सही नहीं थी। गेहूँ बिक्री रजिस्टर में दिनांक 23.11.15 बिना तिथि के ही वितरण हेतु राशन कार्ड संख्या, मुखिया का नाम, यूनिट इत्यादि दर्ज कर रखी थी। किस राशन कार्ड धारक को कितना गेहूँ दिया व कितनी राशि प्राप्त की कही अंकन नहीं की गई। कॉलम में लेने वाले के हस्ताक्षरी नहीं है। कई कॉलम में एक से अधिक 8–10 लोगों के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार दिनांक 25.11.15 व दिनांक 26.11.15 में जो स्टॉक रजिस्टर में वितरण बताया गया था वह वितरण रजिस्टर पूर्णतया संदिग्ध है।

डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 08/2016 दिनांक 23.01.2016 को थाना मेहंदीपुरा बालाजी में दर्ज करवाई जा चुकी है, जो विचाराधीन है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 व जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,4,5,6,7,9,12 व पीडीएस आदेश 2001 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2015 का

स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के तहत दण्डनीय है। अतः जब्तशुदा किया गया 89 क्वि0 गेहूँ मय बारदाना को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना उचित समझते हुए पैरोकार सरकार की इकरफा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 21.01.2016 को थानाधिकरी मेहन्दीपुर बालाजी के साथ डीलर कालूराम मीना की दुकान की जांच मौके पर जाकर की गई। दौराने निरीक्षण मौके पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। अन्य वस्तुओं के स्टॉक व वितरण रजिस्टर प्राधिकार पत्र, दुकान का स्वीकृत नक्शा,मासिक रिटर्न वगैरह दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये। दिये गये स्टॉक रजिस्टर में सही प्रकार से प्रविष्टियॉ नहीं कर रखी थी। आमद स्टॉक बिक्री इत्यादि सभी एक ही कॉलम में एण्ट्री कर रखी थी, वो भी सही नहीं थी। गेहूँ बिक्री रजिस्टर में दिनांक 23.11.15 बिना तिथि के ही वितरण हेतु राशन कार्ड संख्या, मुखिया का नाम, यूनिट इत्यादि दर्ज कर रखी थी। किस राशन कार्ड धारक को कितना गेहूँ दिया व कितनी राशि प्राप्त की कही अंकन नहीं की गई। कॉलम में लेने वाले के हस्ताक्षरी नहीं है। कई कॉलम में एक से अधिक लोगों के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टर में बताया गया वितरण पूर्णतया संदिग्ध पाया गया है।

डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 08/2016 दिनांक थाना मेहंदीपुरा बालाजी में दर्ज करवाई जा चुकी है, जो विचारण है। मौके की जॉच फर्द जब्ती, बयान गवाह व बिल बाउचर से यह स्पष्ट है कि डीलर द्वारा उक्त कार्य कालाबाजारी कर राशन की सामग्री बाजार में बेचकर अधिक मुनाफा कमाने की गरज से किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 व जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,4,5,6,7,9,12 व पीडीएस आदेश 2001तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2015 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के तहत दण्डनीय है। अतः जब्तशुदा 89 क्वि गेहूँ मय बारदाना को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा गेहूँ मय बारदाना राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 11 जुलाई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official